REGIONAL OFFICE,
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD
17, BHARATPURI, UJJAIN
E-mail-romppcb_ujjain@yahoo.co.in, Phone -0734-2510984

S. No. 2179 —— /PCB/RO/2024. Ujjain, Date 22/2/2024

To,

Smt. Parul Bhadoriya,

Advocate, Hon'ble N.G.T. (CZ)

Bhopal (M.P.)

Sub: Hon'ble NGT Original Application No. 184/2023 "Amit Sethi Vs State of M.P. & Others".

---000---

Please find enclosed Joint Committee Inspection Report in the Matter of Original Application No. 184/2023 "Amit Sethi Vs State of M.P. & Others" against Hon'ble NGT order dated 21 December 2023. The next hearing of case is scheduled on date 23 February 2024.

Encle:- As above

(H. K. Tiwari)
Regional Officer

Joint Committee Inspection Report

<u>In the Matter of</u>

Original Application No. 184/2023(CZ)
"Amit Sethi Vs State of M.P. & Ors."

w.r.to

Hon`ble National Green Tribunal Central Bench Bhopal order dated 21st December, 2023

Date of Visit: 20th February 2024

INDEX

S.No.	Name of the Title	Page No.
1	Inspection Report	1-5
2	Annexure - 01	6
3	Annexure - 02	7
4	Annexure - 03	8
5	Annexure - 04	9-10
6	Annexure - 05	11
7	Annexure - 06	12-15
8	Annexure - 07	16
9	Annexure - 08	17-18
10	Annexure - 09	19-21
11	Annexure - 10	22-24
12	Annexure - 11	25
13	Annexure - 12	26
14	Annexure - 13	27-44
15	Annexure - 14	45-47

<u>Joint Committee Inspection Report in the matter of</u>
"Amit Sethi Vs State of M.P. & Others"

Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 21st December, 2023 in OA no. 184/2023 "Amit Sethi Vs State of M.P. & Others" directed as under vide para 6:-

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present Original application, from a Joint Committee consisting of:-

(i) One Representative from the District Magistrate, Ujjain (M.P)
(ii) One Representative from the DFO, Ujjain (M.P)
(iii) One representative from the State Pollution Control Board, (M.P.)

The Committee was directed to submit the factual as well as action taken Report to the Hon'ble Tribunal. The joint committee of the following officers visited the site:

1. Shri. Anukool Jain, Additional District Magistrate, Distt. Ujjain
2. Shri. Hemant Kumar Tiwari, Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Ujjain
3. Shri. Aftab Khan, S.D.O Forest, Ujjain (M.P)

In compliance of the above direction, the joint committee visited area under question in Khachrod on 20th February 2024 to assess the factual status of allegation made in petition.

The other officials present during the inspection are Shri Ramesh Singh Sisodiya, Tehsildar, Tehsil Khachrod, Shri. Suresh Chandra Nagar, In-charge ,Principal, Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod, Dr. Deepak Kale, Scientist, M.P. Pollution Control Board Ujjain and Shri. Amit Sethi (Applicant)

The main contention of the petition is:

"The issue raised in this application is cutting of more than 98 green trees for the construction of Khachrod's Government Higher Secondary School as a new C.M. Rise School Building without the permission of the Forest Department."

The committee visited to get factual status regarding the issues mentioned in the petition and collected information as under:

1- Principal Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod, has written letter to S.D.O Revenue (अनुविभागीय अधिकारी) Khachrod to get permission to cut several trees of the proposed site of Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod, vide their letter no. 134 dated 06th October 2023. The copy of letter is enclosed as **Annexure- 1**

2- Similarly Principal Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod, has written letter to C.M.O, Nagar Pallika Parishad, Khachrod to get permission to cut several trees of the proposed site of Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod, vide letter no 151 dated 01st November 2023. The copy of letter is enclosed as **Annexure- 2**

3- On dated 28th November 2023 a joint inspection was done by Kasba Patwari, Gram Kotwar and villagers of Gram Kasba Khachrod to comply the order of Tehsildar vide their order dated 25th October 2023 regarding cutting of total 98 trees of different species as demanded by Principal Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod for the proposed site of CM Rise School. The Panchnama proposed to get permission from Forest department in this regard. The copy of Panchnama is enclosed as **Annexure- 3**.

4- On dated 21st December 2023, Principal Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod again wrote letter to S.D.O Revenue (अनुविभागीय अधिकारी), Khachrod to get permission for cutting of 42 Trees from the proposed site and to transplant 28 trees from the proposed site to elsewhere. The copy of letter is enclosed as **Annexure- 4**

5- S.D.O Revenue (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) Khachrod wrote to Deputy Ranger , Forest Department , Khachrod vide their letter no. 958 dated 12-12-2023 to major the length and diameter of 98 green trees of proposed C.M. Rise School Site. The copy of letter is enclosed as **Annexure- 5**

6- Team of Forest department inspected the proposed site on dated 22nd December 2023 and marked 73 green trees and measure length diameter & cost species wise & report submitted to S.D.O Revenue (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) Khachrod vide Forest Department letter no. 7124 dated 25 December 2023. The copy of letter is enclosed as **Annexure- 6**. During inspection Panchnama has also been prepared separately by C.M. Rise School, Khachrod is enclosed as **Annexure - 7**

7- A order has been issued by Upper Collector, District- Ujjain vide their order no. 380 dated 09.01.2024 on basis of recommendation of S.D.O Revenue (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व), & Tehsildar, Tehsil- Khachrod for cutting of 79 trees for the proposed site Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School with conditions. The copy of order is enclosed as **Annexure- 8.**

8- In compliance of letter no. 110 dated 09.01.2024 of Van Parikshetra Adhikari, Van Parikshetra, Ujjain team visited the site on dated 19th January 2024 and given instruction to Principal Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod not to cut the trees without prior permission. The Panchnama of the visit along with site inspection report submitted vide their letter no. 300 dated 23 January 2024 to DFO Ujjain is enclosed as **Annexure- 9.**

9- On basis of permission obtained from Upper Collector, Ujjain for cutting of 79 trees for the proposed site Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School with conditions, a letter has been written by Principal Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod vide their letter no. 191 dated 23 January 2024 to Project Engineer, M.P. Police Housing and Infrastructure Development Corporation, Ujjain to comply the order. The copy of order is enclosed as **Annexure- 10.**

10- With respect to order passed by Upper Collector Ujjain vide their letter no. 380 dated 09 January 2024 , S.D.O Revenue (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) Khachrod has written to Deputy Ranger Forest Department , Khachrod for the compliance. The copy of letter is enclosed as **Annexure- 11.**

During inspection of the proposed site of Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School it was found that 79 trees had been cut and wood of these trees was kept behind the school in stadium premises. As per information received during visit the cutting of trees was started from dated 01st February 2024. The Panchnama prepared during visit in which statement of applicant is mentioned. The copy of Panchnama is enclosed as **Annexure- 12**.

The Joint Inspection report by ADM Ujjain, Regional Officer M.P. Pollution Control Board Ujjain , SDO Forest Ujjain & Revenue Official of Khachrod district Ujjain is submitted to the Collector Ujjain on dated 22-02-2024 is enclosed as **Annexure-13**

Photographs taken during inspection is enclosed as per **Annexure 14.**

Recommendation:

Ten times of trees cut from proposed site should be planted in and around the C.M. Rise School.

Action Taken Report:

The disciplinary action against In-charge, Principal, Govt. C.M. Rise Excellence Higher Secondary School, Khachrod is proposed to District Collector, Ujjain. The proposed action is under process. It is directed to the concerning agencies to strictly comply the conditions laid down in Upper Collector Ujjain letter no. 380 Dated 09-01-2024.

22/2/2024

(H. K. Tiwari)
Regional Officer,
M.P. Pollution Control Board,
Ujjain (M.P.)

(Aftab Khan)
S.D.O Forest
Ujjain (M.P.)

(Anukool Jain)
Additional District Magistrate
Distt. Ujjain (M.P.)

Annexure-1

शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र

जावक क्रं 134 — खाचरौद दिनॉक 06/10/2023

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ,
खाचरोद जिला उज्जैन (म.प्र) 456224

विषय :— शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस मे पेड़ काटने की अनुमति देने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के विद्यालय केम्पस का नवनिर्माण होने जा रहा है जिसके अर्तगंत केम्पस के अन्दर स्थित बहुत सारे पेड़ कटेंगे । सीएम राइज विद्यालय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वंकाक्षी योजना है एंव खाचरौद विकासखण्ड का उत्कृष्ट विद्यालय इसके लिए चयनित हुआ है । शासन द्वारा विद्यालय निर्माण के लिए 24 करोड़ रूपये मंजूर भी हो चुके है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सीएम राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद की बिल्डीग के नवनिर्माण के लिए केम्पस के अन्दर स्थित पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे । यही विनय है ।

प्राचार्य
CM RISE
शासकीय सी.एम.राइज उ.मा.वि
खाचरौद जिला उज्जैन

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।
2. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।
3. श्रीमान वनविभाग अधिकारी महोदय विकासखण्ड खाचरोद जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।

6/10/23

प्राचार्य
शासकीय सी.एम.राइज उ.मा.वि
खाचरौद जिला — उज्जैन

Annexure-2.

शासकीय सीएम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.वि विद्यालय
खाचरौद जिला उज्जैन (म0प्र)

डायस कोड़– 23210424802 Email:- cmriseschoolkhachrod@gmail.com संस्था कोड़ 441047

ISO-9001:2015

क्रां / 2023 / 151

खाचरौद दिनॉक 01 / 11 / 2023

प्रति,

श्रीमान नगर पालिका अधिकारी महोदय,
नगर पालिका परिषद खाचरोद
जिला उज्जैन म.प्र

विषय :– शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस मे पेड़ काटने की अनुमति देने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के विद्यालय केम्पस त नवनिर्माण होने जा रहा है जिसके अर्तगंत केम्पस के अन्दर स्थित 10 से 12 पेड़ कटेंगे ।

अतः श्रीमान नगर पालिका महोदय के अर्न्तगत वन अधिकारी महोदय नगर पालिका परिष ~~खाचरौद से निवेदन है कि सीएम राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद की बिल्डिंग के नवनिर्माण के लिए कैम्पस के अन्द~~ स्थित पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे । यही विनय है ।

प्राचार्य
शासकीय सी.एम.राइज उ.मा.वि
खाचरौद जिला – उज्जैन

1/11/23

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।
2. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।
3. श्रीमान वनविभाग अधिकारी महोदय विकासखण्ड खाचरोद जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।

Annexure-3

पंचनामा

हम पंचगण एवं ग्रामवासी ग्राम कुरला खाचरौद के होकर यह पंचनामा प्रमाणित करते हैं कि आज दिनांक २८.११.२३ को राजस्व वृत्त-२ एवं कुरला पटवारी एवं ग्राम कोटवार की उपस्थिति में, प्राचार्य शा. सी.एम राईस उ.मा.वि. खाचरौद के प.क्र. के अनुसार व श्रीमान तहसीलदार महो. के आ. दि २४.१०.२३ के पालन में ग्राम कुरला खाचरौद उ.मा.वि. के मुख्य कैंपस में पेड़ काटने की अनुमति की मांग प्राचार्य द्वारा की जाने से मौके पर स्थल जाँच पंचों के समक्ष की गई।

जिसमें छोटे बड़े वृक्ष सागवान - ६ पेड़, खाखरा ४० पेड़, बेर १ पेड़, कबीट-१, कुल्लू-८ पेड़, नीम-६ पेड़, बबूल २ पेड़, शीशम पेड़-७, यूकेलिप्टस-८ पेड़, रामफल-२ पेड़, गुलमोहर २० पेड़, गुंदी १ पेड़, चन्दन-१ पेड़, केसना फूल वाला-१ पेड़, इमली-२ पेड़, सेमल-१ पेड़ इस प्रकार कुल ९८ पेड़ छोटे-बड़े सी.एम राईस उ.मा.वि खाचरौद की बिल्डिंग के नव निर्माण के लिए कैंपस के अन्दर पेड़ पाए गए जिसके काटने संबंधि अनुमति चाही गई है उक्त वृक्ष काटने की अनुमति के पूर्व वृक्षों की तने की चौड़ाई वृक्षों की ऊंचाई के संबंध में वन विभाग से जाँच करवाए जाने योग्य है।

अतः पंचनामा लिखा जो सही है।

Vinod

RI-2
खाचरौद

प्राचार्य
CM RISE
शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.
खाचरौद जि. उज्जैन (म.प्र.)

Annexure-4

शासकीय सीएम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.वि विद्यालय
खाचरौद जिला उज्जैन (म0प्र)

डायस कोड़– 23210424802 Email :-cmriseschoolkhachrod@gmail.com संस्था कोड़ 441047

ISO- 9001:2015

क्रं / 2023 / 167 खाचरौद दिनॉक 21 / 12 /

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र)

विषय :– शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस मे पेड़ काटने की अनुमति देने वि

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि शासकीय सी एम राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद मे कुल लगे है जिनको काटने की अनुमति श्रीमान महोदय से चाही गयी थी किन्तु जमीन के नाप तोल करने के पश्चात कुल से 28 पेड निर्माण भूमि नही आ रहै है जिन्हे काटने की आवश्यकता नही है
छोटे बडे पेडो को मिलाकर कुल 28 पेडो को अन्य जगह पर प्रत्यारोपित किया जाना है जिसके पश्चात कुल 42 काटने की अनुमति देने का कष्ट करे। ताकि विद्यालय निर्माण अतिशीघ्रता से प्रारंभ किया जा सके ।

प्राचार्य
CM RISE
शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट
उ.मा.विद्यालय खाचरौद
खाचरौद जि.उज्जैन (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी खाचरौद
21/12/23

क्र	पेड़ो के नाम	कुल पेड़	प्रत्यारोपित पेड़	लेआउट मे बच रहे पेड़	पेड़ जो कार्य के कटें
1	सागवान	6	4	1	1
2	सादड अर्जुन	30	14	3	13
3	बेर	1	—	—	1
4	कबीट	1	—	—	1
5	कुटकुल	9	2	2	5
6	नीम	6	1	4	1
7	बबूल	2	—	1	1
8	शीशम	7	—	2	5
9	युकेलिप्टीस	8	—	4	4
10	रामफल	2	—	1	1
11	गुलमोहर	20	5	6	9
12	गुंदी	1	—	1	—
13	चंदन	1	1	—	—
14	केसना	1	1	—	—
15	इमली	2	—	2	—
16	सेयल	1	—	1	—
योग		*98*	*28*	*28*	*42*

Annexure-5 924

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खाचरौद जिला उज्जैन

[illegible] खाचरौद दिनांक [illegible]/12/[illegible]

प्रति

[illegible]
[illegible]
[illegible]

विषय- शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के मुख्य केम्पस मे पेड काटने की अनुमति बाबत।

संदर्भ- शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद का पत्र क्र. [illegible] खाचरौद दिनांक 06.10.2023

-----0000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र में लेख है कि शासकीय सी.एम. राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के मुख्य केम्पस में पेड काटने की अनुमति चाही गई है।

अतः आप शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के मुख्य [illegible] में स्थित कुल छोटे एवं बड़े 98 हरे पेड़ लगे हुए है। उन वृक्षों की ऊंचाई [illegible] की जांच कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभाग खाचरौद
अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग खाचरौद

Range Forest Officer
Range Ujjain (M.P.)

Annexure - 6

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र, उज्जैन

क्रमांक / रेंज / 2023 / 7124 दिनांक 25/12/2023

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी महोदय
अनुविभाग खाचरौद

विषय :- शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विघालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस में पेड काटने की अनुमति बाबत्।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / स्टैनो / 2023 / 958 दिनांक 12.12.2023

-***-

विषयांतर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र से शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विघालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस में छोटे व बडे कुल 98 हरे पेड़ लगे हुए है, तथा उक्त वृक्षो की लंबाई, चौडाई व गोलाई की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7109 दिनांक 22.12.2023 से परिक्षेत्र सहायक खाचरौद को लेख कर निर्देशित किया गया।

परिक्षेत्र सहायक खाचरौद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 23.12.2023 के अनुसार शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विघालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस में लगे छोटे व बडे कुल 98, हरे पेड़ो की लंबाई, चौडाई व गोलाई की जांच कर मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है, जो मूलतः अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र,उज्जैन

क्रमांक / रेंज / 2023 / 7125 दिनांक 25/12/2023

प्रतिलिपि :- 01) वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित हैं।
02) उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित हैं।

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र,उज्जैन

12.

420

मौका पंचनामा

22-12-2023

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर करने वाले सत्य-सत्य मौका पंचनामा लिखा देते है कि आज दि. 22-12-2023 को कार्या. अनु. अधि. (राजस्व) खाचरौद जिला उज्जैन के पत्र क्र./962/स्टेनो/2023 दि. 14.12.2023 से वन अधि./कर्म. शासकीय सी. एम. राइज उत्कृ. उ.मा. विद्यालय खाचरौद के कैम्पस मे हरे पेड़ो के सत्यापन हेतु उपस्थित हुए। मौके पर श्री सुरेशचन्द्र नागर प्राचार्य सी. एम. राइज, पटवारी महो. श्री वैभव डालके एवं अन्य स्टाफ के हमराह कैम्पस मे लगे हरे पेड़ो का निरीक्षण सामूहिक रूप से किया गया। श्री सुरेशचन्द्र नागर प्राचार्य महो. द्वारा बिल्डिंग निर्माण मे आ रहे हरे पेड़ो को चिन्हांकित किया गया। उसके पश्चात वन विभाग के अधि./कर्म. द्वारा हरे पेड़ो की प्रजातिवार गोलाई एवं अनुमानित लंबाई का माप किया गया। और पेड़ो पर हरे आइल पेंट से नम्बरिंग की गई। जिनकी सं. क्र. 01 से 73 है।

उक्त मौका पंचनामा हम पंचो के समक्ष लिखा गया, पढ़कर सुनाया बाद हस्ताक्षर किए जो सही है व वक्त जरूरत काम आवे।

सविता व.र.
खाचरौद

ओंकार [illegible]
व.र.

अरविंद चौहान
R.A. खाचरौद

वैभव राजेन्द्र डालके
प.ह.न. 34
तहसील - खाचरौद

प्राचार्य
CM RISE
... उज्जैन (म.प्र.)

S/E
Police Housing

क्र.	प्रजाति का नाम	पेड़ों की अनु. लंबाई	पेड़ों की गोलाई	रु. मी. राशि रु. में
01.	सागौन	08 मी.	1.60 मी.	38000/- ([illegible])
02.	खेजड़ा	07 मी.	0.85 मी.	800/-
03.	खेजड़ा	05 मी.	1.25 मी.	2396/-
04.	खेजड़ा	08 मी.	1.50 मी.	4796/-
05	खेजड़ा	07 मी.	1.70 मी.	4796/-
06.	गुलमोहर	04 मी.	0.90 मी.	800/-
07.	कैसिया-सामिया	3.5 मी.	0.65 मी.	730/-
08.	गुलमोहर	2.5 मी.	0.50 मी.	245/-
09.	गुलमोहर	3.5 मी.	0.90 मी.	→ 800/-
10.	गुलमोहर	3.5 मी.	0.35 मी.	→ 84/-
11.	गुलमोहर	3.5 मी.	0.70 मी.	→ 730/-
12.	पेल्टाफार्म	2.5 मी.	0.30 मी.	→ 48/-
13.	गुलमोहर	07 मी.	1.20 मी.	→ 2021/-
14.	गुलमोहर	01 मी.	1.05 मी.	→ 1126/-
15.	गुलमोहर	06 मी.	0.90 मी.	→ 800/-
16.	गुलमोहर	04 मी.	1.05 मी.	→ 1126/-
17.	गुलमोहर	3.80 मी.	0.70 मी.	→ 730/-
18.	गुलमोहर (सूखा)	2.60 मी.	0.70 मी.	→ 730/-
19.	गुलमोहर	04 मी.	0.80 मी.	→ 800/-
20.	गुलमोहर	06 मी.	1.20 मी.	→ 2021/-
21.	मौंठी (लसोड़ा)	07 मी.	2.10 मी.	→ 6726/-
22.	कैसिया सामिया	3.80 मी.	1.10 मी.	→ 2021/-
23.	यूकेलिप्टस	3.90 मी.	0.90 मी.	→ 800/-
24.	यूकेलिप्टस	7.50 मी.	1.0 मी.	→ 1126/-
25.	यूकेलिप्टस	06 मी.	1.25 मी.	→ 2396/-

क्र.	प्रजाति का नाम	पेड़ की अनु० लंबाई	पेड़ की गोलाई	क्षति धन/-
53.	सागौन	4.60 मी.	1.30 मी.	→ ~~[illegible]~~/- 27000/-
54.	सागौन	4.10 मी.	0.40 मी.	→ 841/-
55	खमेर	4.0 मी.	0.60 मी.	→ 410/-
56	खमेर	8.80 मी.	0.50 मी.	→ 245/-
57	खमेर	4.0 मी.	0.50 मी.	→ 245/-
58	खमेर	4.0 मी.	0.50 मी.	→ 245/-
59	खमेर	4.20 मी.	0.70 मी.	→ 730/-
60	सागौन	5.0 मी.	0.40 मी.	→ 841/-
61	खमेर	4.0 मी.	0.50 मी.	→ 245/-
62	खमेर	4.0 मी.	0.50 मी.	→ 245/-
63.	जेहड़ा	3.80 मी.	0.80 मी.	→ 800/-
64.	बेहड़ा	3.80 मी.	0.90 मी.	→ 800/-
65	सागौन	5.0 मी.	0.60 मी.	→ 410/-
66	सागौन	3.80 मी.	0.30 मी.	→ 48/-
67.	गुलमोहर	4.0	0.40 मी.	→ 841/-
68.	सागौन	4.20 मी.	0.50 मी.	→ 245/-
69.	सागौन	4.20 मी.	0.60 मी.	→ 410/-
70	शीशम	3.50 मी.	0.70 मी.	→ 730/-
71	गुलमोहर	3.80 मी.	0.60 मी.	→ 410/-
72	गुलमोहर	4.0 मी.	0.40 मी.	→ 841/-
73.	नीम	2.80 मी.	1.60 मी.	→ 5801/-

Range Forest Officer,
Range Ujjain (M.P.)

उप वनक्षेत्रपाल
R.A. खाचरौद

Annexure-7

कार्यालय शास० सी.एम. राइज उत्कृष्ट उ.मा.वि.
खाचरौद जिला - उज्जैन (म०प्र०)

दिनांक - 22/12/…

पंचनामा (मौका मुआयना)

आज दिनांक 22/12/2023 को स्थानीय उत्कृष्ट
उ.मा.वि. खाचरौद में वन-विभाग की टीम के द्वारा
विद्यालय केम्पस में ~~स्थित~~ वृक्षों का सर्वे किया गया
सर्वे टीम में सरिता मेशी वनरक्षक खाचरौद, अन्तर…
चौहान परिक्षेत्र सहायक खाचरौद उमेश वर्मा वनरक्षक…
एवं दीपेश राठौर उपयंत्री म.प्र. पुलिस हाउसिंग, कमल…
कान्ट्रेक्टर संजना कन्सट्रक्शन, शुभम राठौर इंजीनियर
खाचरौद पटवारी श्री डालके एवं प्रभारी प्राचार्य
सुरेश चन्द्र नागर की उपस्थिति में पंचनामा बनवा…
गया, कुल 73 पेड़ों को सर्वे टीम ने रिमार्क किया
सर्वे टीम द्वारा इन 73 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव बना…
इनकी औसत मूल्यांकन किया जावेगा। इसके बाद फारे…
विभाग के द्वारा एवं रेवेन्यू विभाग द्वारा काटने ~~की अनुमति~~ …
जावेगी।

प्राचार्य
CM RISE
शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.
खाचरौद जि. उज्जैन (म.प्र.)

शुभम राजेन्द्र डालके
प.ह.न. 34
तहसील - खाचरौद

अन्तरसिंह चौहान
R.A. खाचरौद

सरिता व.र.
— विभाग

उमेश वर्मा
व.र.

Dipesh
S.E.
… Housing

16

Annexure-8

न्यायालय अपर कलेक्टर -3 जिला उज्जैन (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी-श्री महेन्द्रसिंह कवचे)

प्र.क्र. 0087/अ-74/2023-24

1— प्राचार्य,
सी.एम.राइस शासकीय उत्कृष्ठ उ.मा.वि. खाचरोद
जिला उज्जैन

———आवेदक

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश शासन

———अनावेदक

//आदेश//

(आदेश पारित दिनांक 09/01/2024)

1— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्राचार्य, सी.एम. राइस शासकीय उत्कृष्ठ उ.मा.वि. खाचरोद के द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड खाचरोद को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरोद के परिसर, में सीएम राइज विद्यालय का नवीन भवन निमार्ण प्रस्तावित है। सी.एम. राइज स्कूल भवन के नक्शे के अनुसार उत्कृष्ठ विद्यालय परिसर से 98 हरे पौधे लगे हुवे है । जिसे हटाये जाने की अनुमति चाही गई है ।

2— तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग खाचरौद एवं तहसीलदार तहसील खाचरौद द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये, जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेखित किया कि तहसील खाचरौद नगर पालिका के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन पुराना शासकीय सर्वे नंबर 1232 रकबा 1.03 हे0 मद आबादी में बना हुआ है, जिसमें विद्यालय केम्पस के अंदर छोटे बड़े कुल 98 पेड़ लगे हुए है, उक्त पेड़ों में सागौन के कुल 13 वृक्ष, खमेर के कुल 23 वृक्ष, गुलमोहर के कुल 18 वृक्ष, बहेड़ा के कुल 06 वृक्ष, केशिया सायमा के कुल 04 वृक्ष, यूकेलिप्टस के कुल 05 वृक्ष, शीशम के कुल 03 वृक्ष, पेल्टाफार्म के कुल 02 वृक्ष, नीम के कुल दो वृक्ष, गोंदी लसोड़ा का एक वृक्ष, कबीट का एक वृक्ष, बेर का एक वृक्ष, स्थित है, जो कुल 79 हैं। उक्त वृक्षों की वन विभाग द्वारा गणना अनुसार अनुमानित मूल्य 153622/— रूपये है । उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग खाचरौद एवं तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार, खाचरौद की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के तहत उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरौद के परिसर में सी एम राईज विद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी, उज्जैन की गणना अनुसार कुल 79 वृक्षों (संलग्न सूची अनुसार) को काटने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :—

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्र.क्र. 0087/अ-74/2023-

1. शासकीय वृक्ष संबंधित ग्राम/कस्बा के पटवारी/कोटवार एवं वन विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में कटवाये जायेंगे ।
2. अस्थायी डिपों का निर्माण राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा ।
3. अस्थायी डिपों में काटे गये वृक्षों को प्रजातिवार लाट बनाकर, संयुक्त रूप से राजस्व, वन विभाग एवं आवेदक संस्था की निगरानी में सुरक्षित रखा जावेगा।
4. शासकीय भूमि के विभिन्न प्रजाति के वृक्ष 79 की विधिवत् निलामी की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में की जावेगी ।
5. विदोहन, संग्रहण, परिवहन एवं सुरक्षा इत्यादि का समस्त व्यय आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जावेगा ।
6. विदोहन पश्चात् स्थल से अस्थायी डिपों तक काष्ठ के परिवहन हेतु म0प्र0 वनोपज परिवहन नियमानुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया जावेगा जिसकी राशि आवेदक संस्था द्वारा वहन की जायेगी ।
7. शासकीय वृक्षों की लकडियां तहसीलदार/वन विभाग की अभिरक्षा में रखी जाकर, उनकी विधिवत् निलामी की जाकर, प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा करवाया जावेगा ।
8. प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खाचरोद के द्वारा काटे गये शासकीय वृक्षों के 10 गुना अधिक पौधे प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गरोठ द्वारा लगाये जायेंगे तथा उनकी समुचित देखरेख की जावेगी।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ.क्र. 380/रीडर/अप.कले.–3/2024 — उज्जैन, दिनांक– 09/01/2024

प्रतिलिपि :–

1– कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर सुचनार्थ।
2– वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला उज्जैन
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड खाचरौद
4– वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र उज्जैन जिला उज्जैन
5– उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन
6– तहसीलदार, तहसील खाचरौद
7– प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खाचरोद

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

Digitally signed by Mahendra Singh Kawache
Date: 2024.01.09 18:28:37 +05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH

18

Annexure - 9

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र, उज्जैन

क्रमांक / रेंज / 2024 / 300 दिनांक 23/1/24

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल,उज्जैन

विषय :– National Green Tribunal Bench Bhopal, Application Number 184/2023 (CZ).

संदर्भ :– वनमण्डल उज्जैन का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 57 दिनांक 05.01.2024 एवं उप वनमण्डल उज्जैन का पत्र क्रमांक 51 दिनांक 08.01.2024

— — 0 0 — —

निवेदन है, कि आपके द्वारा एवं उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन के संदर्भित पत्र अनुसार National Green Tribunal Bench Bhopal, Application Number 184/2023 (CZ). के आदेश की प्रति संलग्न कर आदेश में उल्लेखित स्थल का मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 110 दिनांक 09.01.2024 से परिक्षेत्र सहायक खाचरौद को लेख कर निर्देशित किया गया।

परिक्षेत्र सहायक खाचरौद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 19.01.2024 को मौका स्थल सी.एम.राईज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन पर मय स्टॉफ के उपस्थित हुए। मौके पर सी.एम.राईज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन के प्राचार्य श्री सुरेशचंद्र नागर को हमराह रखकर स्कूल परिसर में लगे 98 वृक्षो का निरीक्षण किया जाकर समझाईश दी गई कि जब तक आपको पेड काटने की अनुमति नही मिले, तब तक आप पेडो का नही काटे और ना ही किसी प्रकार की छटाई का कार्य करें। साथ उक्त वृक्षो को नुकसान पहुचाए बिना ही स्कूल भवन का निर्माण करने का प्रयास करे, तथा वर्तमान मे वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित है, जिसका मौके पर मौका पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जो मूलतः अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र,उज्जैन

क्रमांक / रेंज / 2024 / 301 दिनांक 23/1/24

प्रतिलिपि :– उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन की ओर संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ सादर संप्रेषित हैं।

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र,उज्जैन

D:\OFFICE DATA\YEAR'S - 2024\BRANCH\MACH\OTHER'S.doc - 12 -

श्रीमान वन परिक्षेत्र अधि. महो.
वन परिक्षेत्र उज्जैन

विषय:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल बेंच भोपाल, आदेश के संबंध।

संदर्भ:- क्र/केस/110 दि. 03-01-24

महो.

उपरोक्त संदर्भित विषय मे निवेदन है कि आपके आदेश की परिपालना मे प्रस्तावित सी. एम. राइज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन मे उपस्थित डा/और प्रकाश आचार्य को उनके द्वारा 98 हरे पेड़ काटने की अनुमति चाही गई थी, जिसे मिलने तक पेड़ो को नही काटने की समझाइश दी गई। और मौके पर मौका पंचनामा बनाया गया,

सूचनार्थ प्रतिवेदन श्रीमान जी की सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- मौका पंचनामा।

अन्तर्गत चौकी
R.A. खाचरौद

परि. अधिकारी
(सामान्य) खाचरौद
Range Forest Officer
[illegible]

मौका पंचनामा दि. 19/1/24

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर करने वाले वनपाल, वन मौका पंचनामा लिखकर देते हैं कि श्रीमान वन परिक्षेत्र अधि. वन परिक्षेत्र उज्जैन के पत्र क्र. 110 दि. 09.01.2024 की परिपालना में प्रस्तावित सी.एम राईज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन में आज दि. 19/1/24 को उपस्थित हुए। मौके पर प्रस्तावित सी.एम राईज स्कूल खाचरौद के प्राचार्य श्री सुरेन्द्र नागर को हमराह लेकर स्कूल परिसर में लगे पेड़ों का निरीक्षण किया गया। श्री सुरेन्द्र जी नागर प्राचार्य को वन अधि. द्वारा समझाईश दी गई कि जब तक आपको 98 पेड़ों (हरे पेड़) को काटने की अनुमति नहीं मिले, तब तक आप पेड़ों को न काटे और न उनकी किसी प्रकार की छटाई करें। साथ ही समझाईश दी गई कि उक्त हरे वृक्षों को काटे या नुकसान पहुँचाए बिना स्कूल भवन का निर्माण करने का प्रयास करें। वर्तमान में पेड़ पूरी तरह सुरक्षित है।

उक्त मौका पंचनामा हम पंचों के समक्ष लिखा पढ़कर सुनाया बाद हस्ताक्षर किए जो सही है व वक्त जरूरत काम आवे।

Umesh
उमेश वर्मा
व.र.

[illegible signature]
उप वन क्षेत्रपाल
R.A. खाचरोद

(मुकेश कु. मिश्रा)
उ. संघ

चेतन राठौर

[illegible signature]
PRINCIPAL
C.M. RISE EXLELLENCF
H.S.S. KHACHROD

Annexure-10.

शासकीय सीएम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.वि विद्यालय खाचरौद जिला उज्जैन (म0प्र)

डायस कोड़– 23210424802 Email :-cmriseschoolkhachrod@gmail.com संस्था कोड़ 441047

ISO- 9001:2015

क्रं / सी.एम.राइज / 2023 / 191 खाचरौद दिनॉक 23 / 01 / 2024

प्रति,

श्रीमान परियोजना यंत्री महोदय,
म.प्र पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र

विषय :– निमार्ण कार्य सी.एम.राइज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन के संबध में।
सन्दर्भ :– श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन म.प्र का पत्र क्रं 0087 / अ–74 / 2023–24 दिनांक 09.01.2024

उपरोक्त विषय एंव सन्दर्भ मे लेख है कि शासकीय सीएम राइज विद्यालय खाचरौद जिला उज्जैन के नवीन प्रस्तावित भवन निर्माण के स्थल से पेड़ो को हटाये जाने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमान अपर कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा आदेश जारी किया गया हैं।

अतः तद्नुसार पेड़ो को हटाये जाने की कार्यवाही संदर्भित पत्र मे दिये गये निर्देशानुसार निर्माणकर्ता ठेकेदार के माध्यम से 79 पेड़ को कटवाकर चिन्हित सुरक्षित स्थान पर रखवाने का कष्ट करे ।

श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन म.प्र का पत्र क्रं 0087 / अ–74 / 2023–24 दिनांक 09.01.2024 का अक्षरशः पालन किया जावे।

संलग्न :– श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय,जिला उज्जैन के पत्र की छायाप्रति ।

आवक शाखा
तहसील कार्यालय
24/1/24

31/1/2024

PRINCIPAL
C.M. RISE EXLELLENCE
H.S.S. KHACHROD
प्राचार्य
शासकीय सीएम राइज उत्कृष्ट
उ.मा.विद्यालय खाचरौद

पृ.क्रं / सी.एम.राइज / 2023 / 191 खाचरौद दिनॉक 23 / 01 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय,जिला उज्जैन म.प्र की और सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला उज्जैन म.प्र की और सादर सूचनार्थ।
3. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) उपखण्ड खाचरौद की और सादर सूचनार्थ।
4. श्रीमान वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल जिला उज्जैन म.प्र की और सादर सूचनार्थ।
5. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (वन विभाग) उपखण्ड खाचरौद की और सादर सूचनार्थ।
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय खाचरौद की और सादर सूचनार्थ।
7. श्री संजना कण्ट्रक्शन भोपाल की और सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

न्यायालय अपर कलेक्टर -3 जिला उज्जैन (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी-श्री महेन्द्रसिंह कवचे)

प्र.क्र. 0087/अ-74/2023-24

1— प्राचार्य,
सी.एम.राइस शासकीय उत्कृष्ठ उ.मा.वि. खाचरोद
जिला उज्जैन

———आवेदक

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश शासन

———अनावेदक

//आदेश//
(आदेश पारित दिनांक 09/01/2024)

1— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्राचार्य, सी.एम. राइस शासकीय उत्कृष्ठ उ.मा.वि. खाचरोद के द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड खाचरोद को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरोद के परिसर, में सीएम राइज विद्यालय का नवीन भवन निमार्ण प्रस्तावित है। सी.एम. राइज स्कूल भवन के नक्शे के अनुसार उत्कृष्ठ विद्यालय परिसर से 98 हरे पौधे लगे हुवे है । जिसे हटाये जाने की अनुमति चाही गई है ।

2— तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग खाचरौद एवं तहसीलदार तहसील खाचरौद द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये, जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेखित किया कि तहसील खाचरौद नगर पालिका के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन पुराना शासकीय सर्वे नंबर 1232 रकबा 1.03 हे0 मद आबादी में बना हुआ है, जिसमें विद्यालय केम्परा के अंदर छोटे बड़े कुल 98 पेड़ लगे हुए है, उक्त पेड़ों में सागौन के कुल 13 वृक्ष, खमेर के कुल 23 वृक्ष, गुलमोहर के कुल 18 वृक्ष, बहेड़ा के कुल 06 वृक्ष, केशिया सायमा के कुल 04 वृक्ष, यूकेलिप्टस के कुल 05 वृक्ष, शीशम के कुल 03 वृक्ष, पेल्टाफार्म के कुल 02 वृक्ष, नीम के कुल दो वृक्ष, गोंदी लसोड़ा का एक वृक्ष, कबीट का एक वृक्ष, बेर का एक वृक्ष, स्थित है, जो कुल 79 हैं। उक्त वृक्षों की वन विभाग द्वारा गणना अनुसार अनुमानित मूल्य 153622/— रूपये है । उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग खाचरौद एवं तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार, खाचरौद की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के तहत उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरौद के परिसर में सी एम राईज विद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी, उज्जैन की गणना अनुसार कुल 79 वृक्षों (संलग्न सूची अनुसार) को काटने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :—

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

प्र.क्र. 0087/अ-74/2023-24

1. शासकीय वृक्ष संबंधित ग्राम/कस्बा के पटवारी/कोटवार एवं वन विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में कटवाये जायेंगे ।
2. अस्थायी डिपों का निर्माण राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा ।
3. अस्थायी डिपों में काटे गये वृक्षों को प्रजातिवार लाट बनाकर, संयुक्त रूप से राजस्व, वन विभाग एवं आवेदक संस्था की निगरानी में सुरक्षित रखा जावेगा।
4. शासकीय भूमि के विभिन्न प्रजाति के वृक्ष 79 की विधिवत् निलामी की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में की जावेगी ।
5. विदोहन, संग्रहण, परिवहन एवं सुरक्षा इत्यादि का समस्त व्यय आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जावेगा ।
6. विदोहन पश्चात् स्थल से अस्थायी डिपों तक काष्ठ के परिवहन हेतु म0प्र0 वनोपज परिवहन नियमानुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया जावेगा जिसकी राशि आवेदक संस्था द्वारा वहन की जायेगी ।
7. शासकीय वृक्षों की लकडियां तहसीलदार/वन विभाग की अभिरक्षा में रखी जाकर, उनकी विधिवत् निलामी की जाकर, प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा करवाया जावेगा ।
8. प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ठ उ.मा.वि. खाचरोद के द्वारा काटे गये शासकीय वृक्षों के 10 गुना अधिक पौधे प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ठ उ.मा.वि. गरोठ द्वारा लगाये जायेंगे तथा उनकी समुचित देखरेख की जावेगी।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ.क्र. 380/रीडर/अप.कले.–3/2024 उज्जैन, दिनांक– 09/01/2024

प्रतिलिपि :–

1– कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर सुचनार्थ।
2– वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला उज्जैन
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड खाचरौद
4– वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र उज्जैन जिला उज्जैन
5– उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन
6– तहसीलदार, तहसील खाचरौद
7– प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ठ उ.मा.वि. खाचरोद

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

Digitally signed by Mahendra Singh Kawache
Date: 2024.01.09 18:28:37 +05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH

Annexure - 11

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग खाचरौद जिला उज्जैन म0प्र0

क्रमांक /92/ रीडर–1 / 2024 खाचरौद दिनांक 31 / 01 / 2024

प्रति,

डिप्टी रेंजर
(वन विभाग)
तहसील खाचरौद

विषयः–न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के प्र.क्रं. 87 / अ–74 / 2023–24 आदेश दिनांक 09.01.24 के पालन में।

उपरोक्त विषयातंर्गत लेख है कि न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन के आदेश के पालन में लेख है कि सी.एम.राइस शासकीय उत्कृष्ठ उ.मा.वि. खाचरौद में शासकीय वृक्षों के संबंध में अपर कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 09.01.24 में दिये गये निर्देश के पालन में 01 लगायत 08 बिन्दु का अवलोकन कर निर्देशासनुसार पालन कर इस कार्यालय को 02 दिवस में पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–आदेश की छायाप्रति।

अनुविभागीय अधिकारी(रा)
अनुविभाग खाचरौद
अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग खाचरौद

कमांक / रीडर–1 / 2024 /92 **खाचरौद दिनांक 31/ 01 / 2024**

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी(रा)
अनुविभाग खाचरौद
अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग खाचरौद

25

पंचनामा

Annexure -12.

हम अधोलिखित हस्ताक्षरकर्ता पंचगण कस्बा खाचरौद के होकर यह पंचनामा प्रमाणित करते हैं कि आज । माननीय एन.जी.टी. प्रक. 184/2023 अमित सेठी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में दिनांक 21.12.23 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति के सदस्य श्री अनुकूल जैन (श्रीमान अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला-उज्जैन), श्री एच.के. तिवारी (क्षेत्रिय अधिकारी म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन) एवं श्री आफताब खान (एस.डी.ओ वन विभाग उज्जैन) द्वारा आज दिनांक 20.फरवरी 2024 को स्थल निरिक्षण किया गया! स्थल निरीक्षण के दौरान सी.एम.राईस स्कूल खाचरौद के प्रभारी प्राचार्य श्री सुरेशचन्द्र जी नागर, श्री रमेशसिंह सिसौदिया (तहसीलदार तहसील खाचरौद) एवं आवेदक श्री अमित सेठी भी उपस्थित थे। स्थल निरिक्षण के दौरान पाया गया कि एन.जी.टी. प्रकरण में उल्लेखित 98. पेड में से 71 पेड ~~कटे गए कटे~~ हुए काटे जाकर, उनकी लकड़ीया स्कूल बिल्डींग के पिछे स्टेडियम में रखी हुई पाई गई! प्राप्त जानकारी के अनुसार वृक्षों की कटाई का कार्य 01 फरवरी 2024. से प्रारम्भ किया गया था!

आवेदक एन.जी.टी. प्रक. 184/2023 श्री अमित सेठी जी द्वारा बताया गया कि मैंने दिनांक 27.नवम्बर 2023 को माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय खाचरौद को प्रस्तावित सी.एम. राईस स्कूल में लगे हुए पुराने 98 हरे वृक्षो को अवैध रूप से काटे जाने की कार्यवाही से अवगत कराते हुए आवेदन दिया था, जिसकी प्रतिलिपी श्रीमान कलेक्टर महोदय, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, प्राचार्य महोदय एवं एन.जी.टी. में आवेदन प्रस्तुत कर पुराने हरे वृक्षो को काटने से रोकने के लिए निवेदन किया था। जिसके समाचार सभी प्रमुख समाचार पत्रो में प्रकाशित हुए थे। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि उपरोक्त पुराने 98 हरे वृक्षो में से 71 वृक्षो को काटने की अनुमति क्षेत्राधिकार से परे माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 01.जनवरी 24 को दी गई है जो कि प्राचार्य सी.एम.राईस स्कूल के आवेदन पर दी गई है प्राचार्य द्वारा अवैधानिक रूप से क्षेत्राधिकार रहित आवेदन

माननीय कलेक्टर महोदय से यह तथ्य छिपाते हुए कि अनुमति नहीं देने के संबंध में आवेदन लंबित है अनुमति मिलने के पूर्व ही हरे वृक्षो को काट दिया गया क्योकि अनुमति की शर्त क्रमांक 1 लगायत 8 में से किसी का भी पालन नहीं किया गया इस प्रकार अपराधिक कृत्य करने वालो के विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही किए जाने हेतु ~~निवेदन है~~ "श्री अमित जी सेठी द्वारा निवेदन किया हो

स्थल निरीक्षण के समय आवेदक स्थल पर क पूर्ण समय उपस्थित के रहे। साथ ही आवेदक की उपस्थिती मे शेष बचे हुए 19 वृक्षो की गिनती की गई।

अतः पंचनामा लिखा तत्पश्चात पढ़कर सुनाए जाने के पश्चात हम पंचो ने सहमति पूर्वक अपने हस्ताक्षर इस पंचनामे पर किए ताकि यह सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे।

20/2/2024
H. K. Chawan
CROD
Regional Office Ujjain

अमित सेठी

20/02/24

A.A. Khan
S.D.O. Forest
Ujjain
20/2/24

Reena Malviya
N-T Khachrod

Dr Deepak Kalé
Scientist
MPPCB, Ujjain

सुरेश चन्द्र नागर
प्रभारी प्राचार्य
[illegible]
20/02/24

Annexure-13

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला – उज्जैन।

विषय :– माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 184/2023 (CZ) (अमित सेठी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) दिनांक 21.12.2023 को पारित आदेश के परिपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने के संबंध में।

संदर्भ :– कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन (म.प्र.) का आदेश क्रमांक /सामान्य–2/2024 / 1891 दिनांक 22.01.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत यथा माननीय एनजीटी भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण ओ.ए. 184/2023 (CZ) (अमित सेठी विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) के अन्तर्गत दिनांक 21.12.2023 को पारित आदेश एवं कलेक्टर जिला उज्जैन के संदर्भित आदेश के पालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नाधीन स्थल शासकीय सी.एम. राइस उत्कृष्ठ उ.मा. विद्यालय खाचरोद का निरीक्षण दिनांक 20 फरवरी 2024 को किया गया । स्थल निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्था के प्रभारी प्राचार्य श्री सुरेश चन्द्र नागर एवं आवेदनकर्ता श्री अमित सेठी निवासी खाचरौद भी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान जो स्थिति पायी गई उसका तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

1. स्थल निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्राचार्य के द्वारा अवगत कराया गया कि 98 पेडों में से 79 पेड काटे जाकर निर्माणाधीन स्कूल भवन के पीछे स्टेडियम क्षेत्र में रखे गए हैं। मौका मुआयना के दौरान उक्त स्थिति सही पायी गयी व साथ ही यह जानकारी भी संज्ञान में लायी गयी कि उक्त वृक्षों की कटाई का कार्य 1 फरवरी 2024 को प्रारंभ किया गया था। स्थल निरीक्षण के दौरान गठित संयुक्त समिति के साथ राजस्व विभाग का अमला भी उपस्थित रहा एवं मौका पंचनामा भी बनाया गया। **(संलग्नक –1)**
2. स्थल निरीक्षण के दौरान वृक्षों की कटाई के संबंध में संबंधित संस्था के प्रभारी प्राचार्य द्वारा वृक्ष कटाई की अनुमति के संबंधं अनुमति प्राप्त किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया व समिति को प्राप्त की गई अनुमति के संबंध में संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराए गए जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विभाग / अधिकारी जिनसे पत्राचार किया गया	पत्र क्रमांक व दिनांक	विषय
1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खाचरौद, जिला– उज्जैन।	134 , 06.10.2023	शासकीय सी.एम. राइज उत्कृष्ट उ.मा.

			विद्यालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस में पेड़ काटने की अनुमति देने विषयक।
2	मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद – खाचरौद जिला – उज्जैन।	151 , 01.11.2023	शासकीय सी.एम. राइज उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस में पेड़ काटने की अनुमति देने विषयक।
3	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खाचरौद, जिला– उज्जैन।	167 , 21.12.2023	शासकीय सी.एम. राइज उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस में पेड़ काटने की अनुमति देने विषयक।
4	अपर कलेक्टर –3 जिला उज्जैन	380/रीडर/अप. कले./2024 दिनांक 09.01.2024	शर्तों के अधीन कुल 79 वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान की गयी।
5	परियोजना यंत्री , म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम उज्जैन संभाग उज्जैन	191 , 23.01.2024	पेड़ों को हटाये जाने की कार्यवाही अपर कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा जारी पत्र में दिये गये निर्देशानुसार निर्माणकर्ता ठेकेदार के माध्यम से 79 पेड़ कटवाकर चिन्हित सुरक्षित स्थान पर रखवाने विषयक।

उपरोक्त सभी पत्रों की छायाप्रति **संलग्नक – 2** है।

3. संयुक्त समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्था के प्रभारी प्राचार्य को वृक्ष कटाई किये जाने हेतु विभाग से अधिकृत किए जाने हेतु जानकारी चाही गई तब उनके द्वारा इसके संबंध में किसी प्रकार का अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पैरा–2 में अंकित तालिका के बिन्दु कमांक 4 के अनुसार संबंधित संस्था के द्वारा 79 वृक्षों को काटें जाने की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गई थी परन्तु स्थल निरीक्षण के दौरान समिति के समक्ष प्रस्तुत अभिलेख जो कि संलग्न–3 पर व्यवस्थित है, के अनुसार वन परिक्षेत्राधिकारी , वन परिक्षेत्र उज्जैन के द्वारा उनके पत्र कमांक रेंज/2024/300 दिनांक 23.01.2024 के द्वारा वनमंडलाधिकारी वनमंडल को यह अवगत कराया गया था कि "माननीय National Green Tribunal Bench Bhopal, Applicant Number 184/2023 (CZ) में प्रदत्त आदेश के पालन में वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा दिनांक 19.01.2024 को मौका निरीक्षण किया गया और प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह प्रतिवेदित किया गया कि " **परिक्षेत्र सहायक खाचरौद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 19.01.2024 को मौका स्थल सी.एम. राइज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन पर मय स्टाफ के उपस्थित हुए। मौके पर सी.एम. राईज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन के प्राचार्य श्री सुरेशचंद्र नागर को हमराह रखकर स्कूल परिसर में लगे 98 वृक्षों का निरीक्षण किया जाकर समझाईष दी गई कि जब तक आपको पेड़ काटने की अनुमति नहीं मिले, तब तक आप पेड़ों को नहीं काटें और ना ही किसी प्रकार की छटाई का कार्य करें। साथ उक्त वृक्षों को नुकसान पहुचाए बिना ही स्कूल भवन का निर्माण करने का प्रयास करे, तथा वर्तमान में वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित है, जिसका मौके पर मौका पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है जो मूलतः अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित है।**

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पृथम दृष्टया यह स्थिति स्पष्ट होती है कि संबंधित संस्था के प्रभारी प्राचार्य श्री सुरेश चन्द्र नागर के द्वारा वृक्ष कटाई हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति तो प्राप्त की गई व वृक्षों की कटाई कराने के पूर्व प्रकरण का माननीय बैंच में प्रचलित होने की जानकारी भी उन्हें पूर्ण रूप से थी परन्तु उनके

द्वारा उक्त तथ्य पर बल न देते हुए व अपने वरिष्ठ कार्यालय से उक्त स्थिति से अवगत कराया जा सकता था व मार्गदर्शन लिया जा सकता था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। संबंधित प्रभारी प्राचार्य द्वारा यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई की उक्त कार्य हेतु उन्हें उनके विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है। उक्त के संबंध में प्रभारी प्राचार्य से स्पष्टीकरण लिये जाने के संबंध में कलेक्टर उज्जैन को अवगत कराया गया है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय अपर कलेक्टर 3 जिला उज्जैन के द्वारा उनके प्रकरण कमांक 0087/अ–74/2023–24 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2024 के द्वारा म.प्र. भू राजस्व सहिता 1959 के तहत संबंधित संस्था के परिसर में कुल 79 वृक्षों के काटने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है जिनका पालन किया जाना संबंधित विभाग से अपेक्षित है :–

1. शासकीय वृक्ष संबंधित ग्राम/कस्बा के पटवारी/ कोटवार एवं वन विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में कटवाये जायेंगे।
2. अस्थायी डिपों का निर्माण राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा।
3. अस्थायी डिपों में काटे गये वृक्षों को प्रजातिवार लाट बनाकर, संयुक्त रूप से राजस्व, वन विभाग एवं आवेदक संस्था की निगरानी में सुरक्षित रखा जावेगा।
4. शासकीय भूमि के विभिन्न प्रजाति के वृक्ष 79 की विधिवत् निलामी की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में की जावेगी।
5. विदोहन, संग्रहण, परिवहन एवं सुरक्षा इत्यादि का समस्त व्यय आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जावेगा।
6. विदोहन पश्चात स्थल से अस्थायी डिपों तक काष्ठ के परिवहन हेतु म.प्र. वनोपज परिवहन नियमानुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया जावेगा जिसकी राशि आवेदक संस्था द्वारा वहन की जायेगी।
7. शासकीय वृक्षों की लकडियां तहसीलदार/वन विभाग की अभिरक्षा में रखी जाकर उनकी विधिवत निलामी की जाकर प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा करवाया जावेगा।

8. प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खाचरोद के द्वारा काटे गये शासकीय वृक्षों के 10 गुना अधिक पौधे प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गरोठ द्वारा लगाये जायेंगे तथा उनकी समुचित देखरेख की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(आफताब खान)
एस.डी.ओ. वन विभाग
उज्जैन (म.प्र.)

(एच. के. तिवारी)
क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उज्जैन

(अनुकूल जैन)
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला उज्जैन (म.प्र.)

पंचनामा

संलग्नक - 1

हम अधोलिखित हस्ताक्षरकर्ता पंचगण कस्बा खाचरौद के होकर यह पंचनामा प्रमाणित करते हैं कि आज / माननीय एन.जी.टी. प्रक्र. 184/2023 अमित सेठी विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में दिनांक 21.12.23 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति के सदस्य श्री अनुकूल जैन (श्रीमान अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला-उज्जैन), श्री एच.के. तिवारी (क्षेत्रिय अधिकारी म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड उज्जैन) एवं श्री आफताब खान (एस.डी.ओ. वन विभाग उज्जैन) द्वारा आज दिनांक 20 फरवरी 2024 को स्थल निरिक्षण किया गया! स्थल निरीक्षण के दौरान सी.एम. राईस स्कूल खाचरौद के प्रभारी प्राचार्य श्री सुरेशचन्द्र जी नागर, श्री रमेशसिंह सिसौदिया (तहसीलदार तहसील खाचरौद) एवं आवेदक श्री अमित सेठी भी उपस्थित थे। स्थल निरिक्षण के दौरान पाया गया कि एन.जी.टी. प्रकरण में उल्लेखित 98 पेड़ में से 71 पेड़ ~~कटे मय कटे~~ हुए काटे जाकर, उनकी लकड़ीया स्कूल बिल्डींग के पिछे स्टेडियम में रखी हुई पाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वृक्षों की कटाई का कार्य 01 फरवरी 2024 से प्रारम्भ किया गया था!

आवेदक एन.जी.टी. प्रक्र. 184/2023 श्री अमित सेठी जी द्वारा बताया गया कि मैंने दिनांक 29 नवम्बर 2023 को माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय खाचरौद को प्रस्तावित सी.एम. राईस स्कूल में लगे हुए पुराने 98 हरे वृक्षों को अवैध रूप से काटे जाने की कार्यवाही से अवगत कराते हुए आवेदन दिया था, जिसकी प्रतिलिपी श्रीमान कलेक्टर महोदय, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, प्राचार्य महोदय एवं एन.जी.टी. में आवेदन प्रस्तुत कर पुराने हरे वृक्षों को काटने से रोकने के लिए निवेदन किया था। जिसके समाचार सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे। मुझे अभी ज्ञात हुआ कि उपरोक्त पुराने 98 हरे वृक्षों में से 71 वृक्षों को काटने की अनुमति क्षेत्राधिकार से परे माननीय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 01 जनवरी 24 को दी गई है जो कि प्राचार्य सी.एम. राईस स्कूल के आवेदन पर दी गई है प्राचार्य द्वारा अवैधानिक रूप से क्षेत्राधिकार रहित आवेदन

माननीय कलेक्टर महोदय से यह तथ्य छिपाते हुए कि अनुमति नहीं देने के संबंध में आवेदन लंबित हो अनुमति मिलने के पूर्व ही हरे वृक्षो को काट दिया गया क्योंकि अनुमति की शर्त क्रमांक 1 लगायत 8 में से किसी का भी पालन नहीं किया गया इस प्रकार अपराधिक कृत्य करने वालो के विरुद्ध न्यायोचित कार्यवाही किए जाने हेतु ~~निवेदन है~~ श्री अमित जी सेठी द्वारा निवेदन किया हो

स्थल निरीक्षण के समय आवेदक स्थल पर क पूर्ण समय उपस्थित रहे। साथ ही आवेदक की उपस्थिती मे शेष बचे हुए 19 वृक्षो की गिनती की गई।

अतः पंचनामा लिखा तत्पश्चात पढ़कर सुनाए जाने के पश्चात हम पंचो ने सहमति पूर्वक अपने हस्ताक्षर इस पंचनामे पर किए ताकि यह सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे।

H. K. Tiwari 20/2/2024
CROD
Regional office Ujjain

अमित सेठी

20/02/24

A. A. Khan
R.O.O. Forest
Ujjain
20/2/24

Teena Malviya
N.T. Khachrod

Dr Deepak Kale
Sci/Asst
MPPCB, Ujjain

सुरेश चन्द्र नागर
प्रभारी प्राचार्य
शा. बा. उ. मा. वि.
20/02/24

स्मरणक्र.2

शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद जिला उज्जैन म.प्र

जावक क्रं 134

खाचरौद दिनॉक 06/10/2023

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ,
खाचरोद जिला उज्जैन (म.प्र) 456224

विषय :– शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस मे पेड़ काटने की अनुमति देने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के विद्यालय केम्पस का नवनिर्माण होने जा रहा है जिसके अंतर्गत केम्पस के अन्दर स्थित बहुत सारे पेड़ कटेंगे । सीएम राइज विद्यालय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वकांक्षी योजना है एंव खाचरौद विकासखण्ड का उत्कृष्ट विद्यालय इसके लिए चयनित हुआ है । शासन द्वारा विद्यालय निर्माण के लिए 24 करोड़ रूपये मंजूर भी हो चुके है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि सीएम राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद की बिल्डीग के नवनिर्माण के लिए केम्पस के अन्दर स्थित पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे । यही विनय है ।

प्राचार्य
CM RISE
शासकीय सी.एम.राइज उ.मा.वि
खाचरौद जिला – उज्जैन

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।
2. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।
3. श्रीमान वनविभाग अधिकारी महोदय विकासखण्ड खाचरोद जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।

6/10/23

प्राचार्य
CM RISE
शासकीय सी.एम.राइज उ.मा.वि
खाचरौद जिला – उज्जैन

z

शासकीय सीएम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.वि विद्यालय
खाचरौद जिला उज्जैन (म०प्र)

डायस कोड़– 23210424802 Email – cmriseschoolkhachrod@gmail.com संस्था कोड़ 441047

ISO- 9001:2015

क्रं / 2023 / 151 खाचरौद दिनॉक 01 / 11 / 2023

प्रति,

श्रीमान नगर पालिका अधिकारी महोदय,
नगर पालिका परिषद खाचरोद
जिला उज्जैन म.प्र

विषय :– शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस मे पेड़ काटने की अनुमति देने विषयक ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के विद्यालय केम्पस नवनिर्माण होने जा रहा है जिसके अर्तगंत केम्पस के अन्दर स्थित 10 से 12 पेड़ कटेंगे ।

अतः श्रीमान नगर पालिका महोदय के अर्न्तगत वन अधिकारी महोदय नगर पालिका परि खाचरौद से निवेदन है कि सीएम राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरोद की बिल्डिंग के नवनिर्माण के लिए कैम्पस के अं स्थित पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे । यही विनय है ।

प्राचार्य
शासकीय सी.एम.राइज उ.मा.वि
खाचरौद जिला – उज्जैन

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।
2. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।
3. श्रीमान वनविभाग अधिकारी महोदय विकासखण्ड खाचरोद जिला उज्जैन म.प्र की ओर सादर सुचनार्थ ।

शासकीय सीएम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.वि विद्यालय
खाचरौद जिला उज्जैन (म0प्र)

डायस कोड़– 23210424802 Email :-cmriseschoolkhachrod@gmail.com संस्था कोड़ 441047

ISO- 9001:2015

क्रं / 2023 / 167 खाचरौद दिनॉक 21 / 12 /

प्रति,

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

खाचरौद जिला उज्जैन (म.प्र)

विषय :– शासकीय सी.एम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद के मुख्य कैम्पस मे पेड़ काटने की अनुमति देने वि

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि शासकीय सी एम राइज उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय खाचरौद मे कुल लगे है जिनको काटने की अनुमति श्रीमान महोदय से चाही गयी थी किन्तु जमीन के नाप तोल करने के पश्चात कुल से 28 पेड निर्माण भूमि नही आ रहै है जिन्हे काटने की आवश्यकता नही है
छोटे बडे पेडो को मिलाकर कुल 28 पेडो को अन्य जगह पर प्रत्यारोपित किया जाना है जिसके पश्चात कुल 42 काटने की अनुमति देने का कष्ट करे। ताकि विद्यालय निर्माण अतिशीघ्रता से प्रारंभ किया जा सके ।

प्राचार्य
CM RISE
शासकीय सीएम राइज उत्कृष्ट
उ.मा.विद्यालय खाचरौद
खाचरौद जि.उज्जैन (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी खाचरौद
21/12/23

35

क्र	पेड़ो के नाम	कुल पेड़	प्रत्यारोपित पेड़	लेआउट मे बच रहे पेड़	पेड़ जो कार्य के कटे
1	सागवान	6	4	1	1
2	सादड अर्जुन	30	14	3	13
3	बेर	1	—	—	1
4	कबीट	1	—	—	1
5	कुटकुल	9	2	2	5
6	नीम	6	1	4	1
7	बबूल	2	—	1	1
8	शीशम	7	—	2	5
9	युकेलिप्टीस	8	—	4	4
10	रामफल	2	—	1	1
11	गुलमोहर	20	5	6	9
12	गुंदी	1	—	1	—
13	चंदन	1	1	—	—
14	केसना	1	1	—	—
15	इमली	2	—	2	—
16	सेयल	1	—	1	—
	योग	98	28	28	42

न्यायालय अपर कलेक्टर -3 जिला उज्जैन (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी-श्री महेन्द्रसिंह कवचे)

प्र.क्र. 0087/अ-74/2023-24

1— प्राचार्य,
सी.एम.राइस शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. खाचरोद
जिला उज्जैन

———आवेदक

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश शासन

———अनावेदक

//आदेश//

(आदेश पारित दिनांक 09/01/2024)

1— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्राचार्य, सी.एम. राइस शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. खाचरोद के द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड खाचरोद को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरोद के परिसर, में सीएम राइज विद्यालय का नवीन भवन निमार्ण प्रस्तावित है। सी.एम. राइज स्कूल भवन के नक्शे के अनुसार उत्कृष्ट विद्यालय परिसर से 98 हरे पौधे लगे हुवे है । जिसे हटाये जाने की अनुमति चाही गई है ।

2— तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग खाचरौद एवं तहसीलदार तहसील खाचरौद द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये, जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेखित किया कि तहसील खाचरौद नगर पालिका के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन पुराना शासकीय सर्वे नंबर 1232 रकबा 1.03 हे0 मद आबादी में बना हुआ है, जिसमें विद्यालय केम्पस के अंदर छोटे बड़े कुल 98 पेड़ लगे हुए है, उक्त पेड़ों में सागौन के कुल 13 वृक्ष, खमेर के कुल 23 वृक्ष, गुलमोहर के कुल 18 वृक्ष, बहेड़ा के कुल 06 वृक्ष, केशिया सायमा के कुल 04 वृक्ष, यूकेलिप्टस के कुल 05 वृक्ष, शीशम के कुल 03 वृक्ष, पेल्टाफार्म के कुल 02 वृक्ष, नीम के कुल दो वृक्ष, गोंदी लसोड़ा का एक वृक्ष, कबीट का एक वृक्ष, बेर का एक वृक्ष, स्थित है, जो कुल 79 हैं। उक्त वृक्षों की वन विभाग द्वारा गणना अनुसार अनुमानित मूल्य 153622/— रूपये है । उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग खाचरौद एवं तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार, खाचरौद की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के तहत उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरौद के परिसर में सी एम राईज विद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी, उज्जैन की गणना अनुसार कुल 79 वृक्षों (संलग्न सूची अनुसार) को काटने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

37

1. शासकीय वृक्ष संबंधित ग्राम/कस्बा के पटवारी/कोटवार एवं वन विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में कटवाये जायेंगे ।
2. अस्थायी डिपों का निर्माण राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा ।
3. अस्थायी डिपों में काटे गये वृक्षों को प्रजातिवार लाट बनाकर, संयुक्त रूप से राजस्व, वन विभाग एवं आवेदक संस्था की निगरानी में सुरक्षित रखा जावेगा।
4. शासकीय भूमि के विभिन्न प्रजाति के वृक्ष 79 की विधिवत् निलामी की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के अंधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में की जावेगी ।
5. विदोहन, संग्रहण, परिवहन एवं सुरक्षा इत्यादि का समस्त व्यय आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जावेगा ।
6. विदोहन पश्चात् स्थल से अस्थायी डिपों तक काष्ठ के परिवहन हेतु म0प्र0 वनोपज परिवहन नियमानुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया जावेगा जिसकी राशि आवेदक संस्था द्वारा वहन की जायेगी ।
7. शासकीय वृक्षों की लकडियां तहसीलदार/वन विभाग की अभिरक्षा में रखी जाकर, उनकी विधिवत् निलामी की जाकर, प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा करवाया जावेगा ।
8. प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खाचरोद के द्वारा काटे गये शासकीय वृक्षों के 10 गुना अधिक पौधे प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गरोठ द्वारा लगाये जायेंगे तथा उनकी समुचित देखरेख की जावेगी।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ.क्र. 380/रीडर/अप.कले.–3/2024 उज्जैन, दिनांक– 09/01/2024

प्रतिलिपि :–

1– कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर सुचनार्थ।
2– वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला उज्जैन
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड खाचरौद
4– वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र उज्जैन जिला उज्जैन
5– उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन
6– तहसीलदार, तहसील खाचरौद
7– प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खाचरोद

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

Digitally signed by Mahendra Singh Kawache
Date: 2024.01.09 18:28:37 +05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH

शासकीय सीएम.राइज उत्कृष्ट उ.मा.वि विद्यालय
खाचरौद जिला उज्जैन (म0प्र)

डायस कोड– 23210424802 Email :-cmriseschoolkhachrod@gmail.com संस्था कोड 441047

ISO- 9001:2015

क्रं / सी.एम.राइज / 2023 / 191

खाचरौद दिनॉक 23 / 01 / 2024

प्रति,

श्रीमान परियोजना यंत्री महोदय,
म.प्र पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र

विषय :– निमार्ण कार्य सी.एम.राइज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन के संबध में।
सन्दर्भ :– श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन म.प्र का पत्र क्रं 0087 / अ–74 / 2023–24 दिनांक 09.01.2024

उपरोक्त विषय एंव सन्दर्भ मे लेख है कि शासकीय सीएम राइज विद्यालय खाचरौद जिला उज्जैन के नवीन प्रस्ता भवन निर्माण के स्थल से पेड़ो को हटाये जाने हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से श्रीमान अपर कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा आदेश जारी किया गया हैं।

अतः तद्नुसार पेड़ो को हटाये जाने की कार्यवाही संदर्भित पत्र मे दिये गये निर्देशानुसार निर्माणकर्ता ठेकेदार के माध्यम से 79 पेड़ को कटवाकर चिन्हित सुरक्षित स्थान पर रखवाने का कष्ट करे ।

श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन म.प्र का पत्र क्रं 0087 / अ–74 / 2023–24 दिनांक 09.01.2024 का अक्षरशः पालन किया जावे।

संलग्न :– श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय,जिला उज्जैन के पत्र की छायाप्रति ।

आवक शाखा
24/1/24
31-1-2024

PRINCIPAL
C.M. RISE EXLELLENCE
H.S.S. KHACHROD
शासकीय सीएम राइज उत्कृष्ट
उ.मा.विद्यालय खाचरौद
खाचरौद दिनॉक 23 / 01 / 2024

पृ.क्रं / सी.एम.राइज / 2023 / 191

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय,जिला उज्जैन म.प्र की और सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जिला उज्जैन म.प्र की और सादर सूचनार्थ।
3. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) उपखण्ड खाचरौद की और सादर सूचनार्थ।
4. श्रीमान वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल जिला उज्जैन म.प्र की और सादर सूचनार्थ।
5. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (वन विभाग) उपखण्ड खाचरौद की और सादर सूचनार्थ।
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय खाचरौद की और सादर सूचनार्थ।
7. श्री संजना कण्ट्रक्शन भोपाल की और सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

न्यायालय अपर कलेक्टर -3 जिला उज्जैन (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी-श्री महेन्द्रसिंह कवचे)

प्र.क्र.0087/अ-74/2023-24

1— प्राचार्य,
सी.एम.राइस शासकीय उत्कृष्ठ उ.मा.वि. खाचरोद
जिला उज्जैन

———आवेदक

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश शासन

———अनावेदक

//आदेश//

(आदेश पारित दिनांक 09/01/2024)

1— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक प्राचार्य, सी.एम. राइस शासकीय उत्कृष्ठ उ.मा.वि. खाचरोद के द्वारा एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड खाचरोद को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरोद के परिसर, में सीएम राइज विद्यालय का नवीन भवन निमार्ण प्रस्तावित है। सी.एम. राइज स्कूल भवन के नक्शे के अनुसार उत्कृष्ठ विद्यालय परिसर से 98 हरे पौधे लगे हुवे है । जिसे हटाये जाने की अनुमति चाही गई है ।

2— तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग खाचरौद एवं तहसीलदार तहसील खाचरौद द्वारा उक्त आवेदन पत्र के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये, जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लेखित किया कि तहसील खाचरौद नगर पालिका के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन पुराना शासकीय सर्वे नंबर 1232 रकबा 1.03 हे0 मद आबादी में बना हुआ है, जिसमें विद्यालय केम्पस के अंदर छोटे बड़े कुल 98 पेड़ लगे हुए है, उक्त पेड़ों में सागौन के कुल 13 वृक्ष, खमेर के कुल 23 वृक्ष, गुलमोहर के कुल 18 वृक्ष, बहेड़ा के कुल 06 वृक्ष, केशिया सायमा के कुल 04 वृक्ष, यूकेलिप्टस के कुल 05 वृक्ष, शीशम के कुल 03 वृक्ष, पेल्टाफार्म के कुल 02 वृक्ष, नीम के कुल दो वृक्ष, गोंदी लसोड़ा का एक वृक्ष, कबीट का एक वृक्ष, बेर का एक वृक्ष, स्थित है, जो कुल 79 हैं। उक्त वृक्षों की वन विभाग द्वारा गणना अनुसार अनुमानित मूल्य 153622/— रूपये है । उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग खाचरौद एवं तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार, खाचरौद की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 के तहत उत्कृष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाचरौद के परिसर में सी एम राईज विद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र अधिकारी, उज्जैन की गणना अनुसार कुल 79 वृक्षों (संलग्न सूची अनुसार) को काटने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :—

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

40

प्र.क्र. 0087/अ-74/2023-24

1. शासकीय वृक्ष संबंधित ग्राम/कस्बा के पटवारी/कोटवार एवं वन विभाग के कर्मचारी की उपस्थिति में कटवाये जायेंगे ।
2. अस्थायी डिपों का निर्माण राजस्व विभाग द्वारा किया जावेगा ।
3. अस्थायी डिपों में काटे गये वृक्षों को प्रजातिवार लाट बनाकर, संयुक्त रूप से राजस्व, वन विभाग एवं आवेदक संस्था की निगरानी में सुरक्षित रखा जावेगा।
4. शासकीय भूमि के विभिन्न प्रजाति के वृक्ष 79 की विधिवत् निलामी की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में की जावेगी ।
5. विदोहन, संग्रहण, परिवहन एवं सुरक्षा इत्यादि का समस्त व्यय आवेदक संस्था द्वारा वहन किया जावेगा ।
6. विदोहन पश्चात् स्थल से अस्थायी डिपों तक काष्ठ के परिवहन हेतु म0प्र0 वनोपज परिवहन नियमानुसार परिवहन अनुज्ञा पत्र वन विभाग द्वारा जारी किया जावेगा जिसकी राशि आवेदक संस्था द्वारा वहन की जायेगी ।
7. शासकीय वृक्षों की लकडियां तहसीलदार/वन विभाग की अभिरक्षा में रखी जाकर, उनकी विधिवत् निलामी की जाकर, प्राप्त राशि को शासकीय कोष में जमा करवाया जावेगा ।
8. प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खाचरोद के द्वारा काटे गये शासकीय वृक्षों के 10 गुना अधिक पौधे प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. गरोठ द्वारा लगाये जायेंगे तथा उनकी समुचित देखरेख की जावेगी।

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ.क्र. 380/रीडर/अप.कले.–3/2024 उज्जैन, दिनांक– 09/01/2024

प्रतिलिपि :–

1– कलेक्टर जिला उज्जैन की ओर सुचनार्थ।
2– वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल जिला उज्जैन
3– अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड खाचरौद
4– वनपरिक्षेत्राधिकारी वनपरिक्षेत्र उज्जैन जिला उज्जैन
5– उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन
6– तहसीलदार, तहसील खाचरौद
7– प्राचार्य, सी.एम. राइस शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि. खाचरोद

अपर कलेक्टर
जिला उज्जैन

Digitally signed by Mahendra Singh Kawache
Date: 2024.01.09 18:28:37 +05:30
Reason: Order Copy
Location: MADHYA PRADESH

प्रपत्र-3

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी परिक्षेत्र, उज्जैन

क्रमांक / रेंज / 2024 / 300 दिनांक 23/1/24

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल,उज्जैन

विषय :– National Green Tribunal Bench Bhopal, Application Number 184/2023 (CZ).

संदर्भ :– वनमण्डल उज्जैन का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 57 दिनांक 05.01.2024 एवं उप वनमण्डल उज्जैन का पत्र क्रमांक 51 दिनांक 08.01.2024

– – 0 0 – –

निवेदन है, कि आपके द्वारा एवं उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन के संदर्भित पत्र अनुसार National Green Tribunal Bench Bhopal, Application Number 184/2023 (CZ). के आदेश की प्रति संलग्न कर आदेश में उल्लेखित स्थल का मौका निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया हैं। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 110 दिनांक 09.01.2024 से परिक्षेत्र सहायक खाचरौद को लेख कर निर्देशित किया गया।

परिक्षेत्र सहायक खाचरौद द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 19.01.2024 को मौका स्थल सी.एम.राईज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन पर मय स्टॉफ के उपस्थित हुए। मौके पर सी. एम.राईज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन के प्राचार्य श्री सुरेशचंद्र नागर को हमराह रखकर स्कूल परिसर में लगे 98 वृक्षो का निरीक्षण किया जाकर समझाईश दी गई कि जब तक आपको पेड काटने की अनुमति नही मिले, तब तक आप पेडो का नही काटे और ना ही किसी प्रकार की छटाई का कार्य करें। साथ उक्त वृक्षो को नुकसान पहुचाए बिना ही स्कूल भवन का निर्माण करने का प्रयास करे, तथा वर्तमान में वृक्ष पूरी तरह सुरक्षित है, जिसका मौके पर मौका पंचनामा तैयार कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जो मूलतः अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र,उज्जैन

क्रमांक / रेंज / 2024 / 301 दिनांक 23/1/24

प्रतिलिपि :– उप वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उज्जैन की ओर संदर्भित पत्र के परिपालन में सूचनार्थ सादर संप्रेषित हैं।

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र,उज्जैन

O/c

प्रति

23-01-24

श्रीमान वन परिक्षेत्र अधि. महो.
वन परिक्षेत्र उज्जैन

विषय:- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच भोपाल, आदेश के संबंध।

संदर्भ:- क्र./केस/110 दि. 09-01-24

महो.

उपरोक्त संदर्भित विषय में निवेदन है कि आपके आदेश की परिपालना में प्रस्तावित सी. एम. राइज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन में उपस्थित डा./ और शुक्ला आचार्य को उनके द्वारा 98 हरे पेड़ काटने की अनुमति चाही गई थी, जिसे मिलने तक पेड़ों को नहीं काटने की समझाइश दी गई। और मौके पर मौका पंचनामा बनाया गया,

सूचनार्थ प्रतिवेदन श्रीमान जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- मौका पंचनामा।

अन्तर्गत चौकी
R.A. खाचरौद

परिक्षेत्र अधिकारी
(सामान्य) खाचरौद
Range Forest Officer

43

मौका पंचनामा

दि. 19/1/24

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर करने वाले सच्चा ... सच मौका पंचनामा लिखकर देते हैं कि श्रीमान वन परिक्षेत्र अधि. वन परिक्षेत्र उज्जैन के पत्र क्र. 110 दि. 09.01.2024 के परिपालन में प्रस्तावित सी.एम राईज स्कूल खाचरौद जिला उज्जैन में आज दि. 19/1/2[illegible] को उपस्थित हुए। मौके पर प्रस्तावित सी.एम राईज स्कूल खाचरौद के प्राचार्य श्री सुरेश चन्द्र नागर को साथ रख कर स्कूल परिसर में लगे पेड़ों का निरीक्षण किया गया। श्री सुरेश चन्द्र जी नागर प्राचार्य को वन अधि. द्वारा समझाईश दी गई कि जब तक आपको ~~[illegible]~~ 98 पेड़ो (हरे पेड़) के काटने की अनुमति नहीं मिले, तब तक आप पेड़ो को न काटे और न उनकी किसी प्रकार की छटाई करें। साथ ही समझाईश दी गई कि उक्त हरे वृक्षों को काटे या नुकसान पहुंचाए बिना स्कूल भवन का निर्माण करने का प्रयास करें। वर्तमान में पेड़ पूरी तरह सुरक्षित है।

उक्त मौका पंचनामा हम पंचों के समक्ष लिखा पढ़कर सुनाया बाद हस्ताक्षर किए जो सही है व वक्त जरूरत काम आवे।

उमेश वर्मा
व.र.

अमर सिंह चौहान
R.A. खाचरौद

(मुकेश कु. सिसोदिया)
उपसंरपंच

चेतन [illegible]

PRINCIPAL
C.M. RISE EXLELLENCF
H.S.S. KHACHROD

Annexure-14

GPS Map Camera
Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh, India
C7QP+573, Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh 456224, India
Lat 23.437812°
Long 75.285738°
20/02/24 05:00 PM GMT +05:30
Google

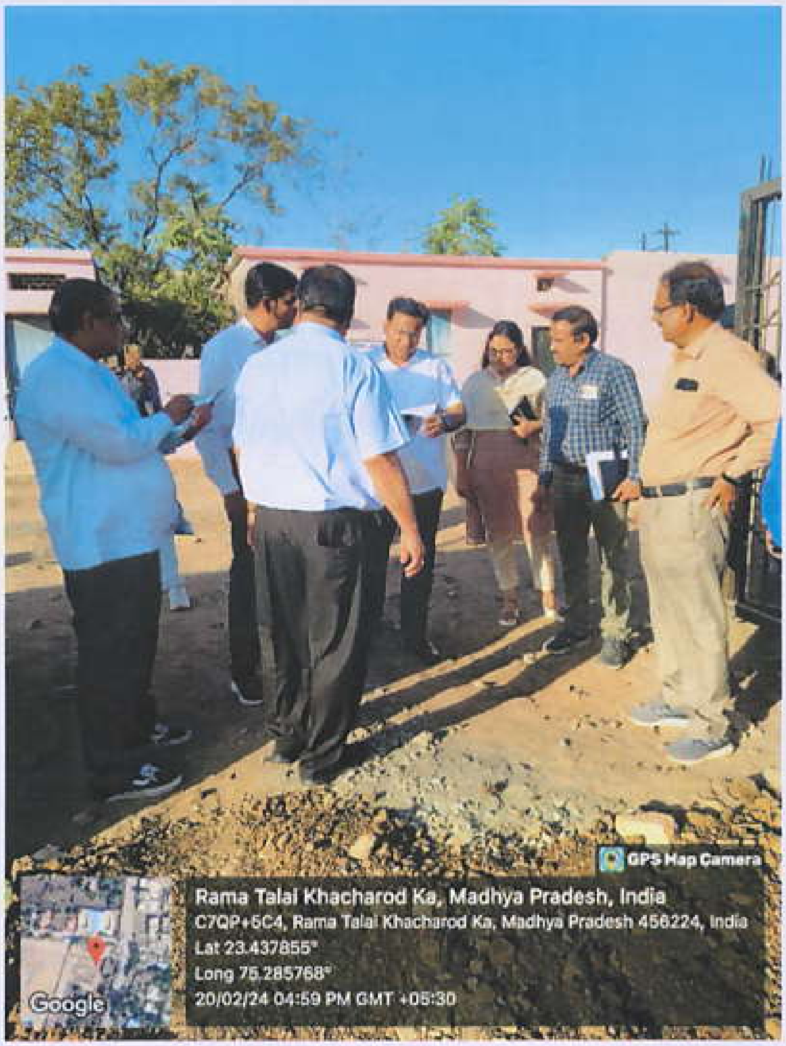
GPS Map Camera
Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh, India
C7QP+5C4, Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh 456224, India
Lat 23.437855°
Long 75.285768°
20/02/24 04:59 PM GMT +05:30
Google

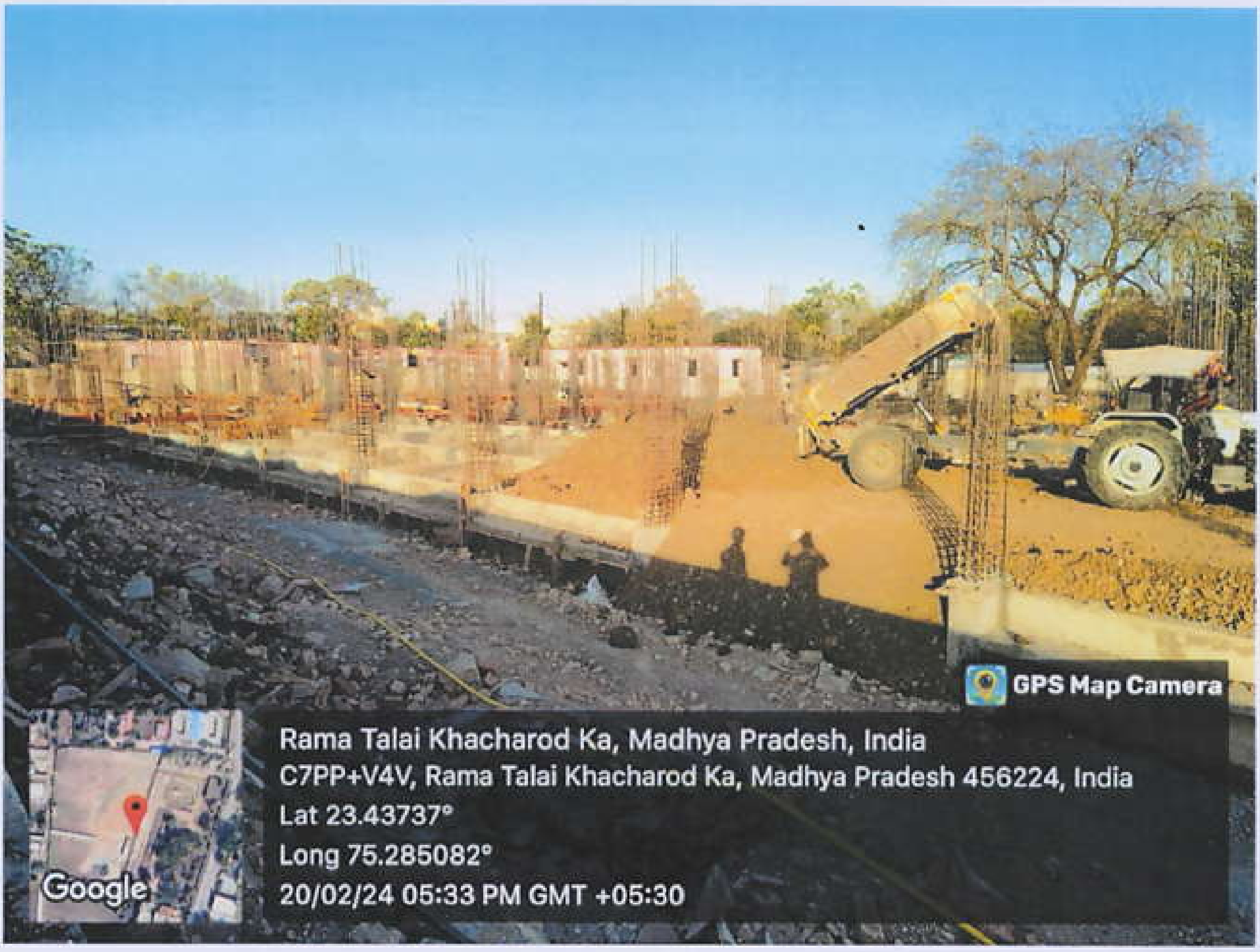
GPS Map Camera
Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh, India
C7PP+V4V, Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh 456224, India
Lat 23.43737°
Long 75.285082°
20/02/24 05:33 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh, India
C7QP+573, Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh 456224, India
Lat 23.437798°
Long 75.285733°
20/02/24 05:05 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh, India
C7QP+573, Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh 456224, India
Lat 23.437698°
Long 75.285658°
20/02/24 05:05 PM GMT +05:30
Google

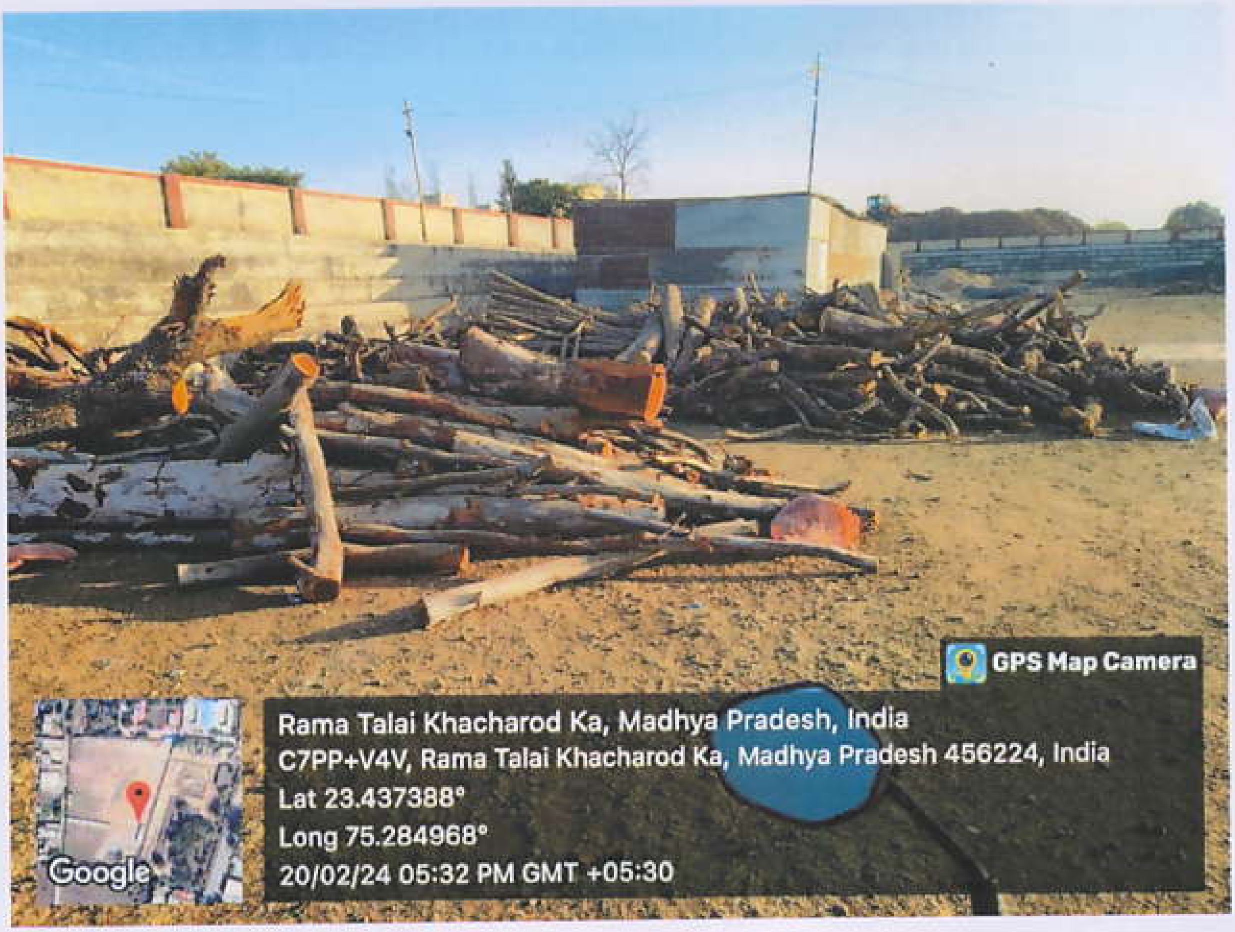
GPS Map Camera
Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh, India
C7PP+V4V, Rama Talai Khacharod Ka, Madhya Pradesh 456224, India
Lat 23.437388°
Long 75.284968°
20/02/24 05:32 PM GMT +05:30
Google